



S871

471

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)

First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-JH21744271557103R
 : 26-Sep-2019 12:03 PM
 : CSCACC (GV)/ jhcsceg07/ JH-DBSUM0157/ JH-DB
 : SUBIN-JHJHCSCEG0730261359657245R
 : ANITA DEVI AND OTHERS
 : Article 64 Trust
 : TRUST
 : 0
 (Zero)
 : DAMODAR PRASAD SAW
 : ANITA DEVI AND OTHERS
 : ANITA DEVI AND OTHERS
 : 210
 (Two Hundred And Ten only)



Please write or type below this line

प्रधान मिशन २८ का अधीन आवासीय प्रधान
 कार्यकारी दिन २६ सिंगुरु का प्रधान
 का उद्देश्य १८ वर्ष के लिए ५०५
 को आवासीय १८ वर्ष के लिए
 घरावासी इलायची लम्हावाली लिए
 मध्यम में विमुक्त हो या उत्तम गुण का अधिक
 करी है।

dev
 अधिकारी प्रधानमंत्री
 26.09.19

Demolition Received Land
 26/09/2019

SR 0003643127

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the user of the stamp.

Trust

१०
Set(210)

२५


२६/९/१९

क्रॉफर्ड नगर - ३४० - १८०

दिनांक १९७२३। ता. ३३ ए

२५.०९.१९

२६.०९.१९



Domestic
Household
No. २६१९



न्यास दस्तावेज (Trust Deed)

यह न्यास दलील/दस्तावेज आज दिनांक २६.०९.२०१९ को न्यासकर्ता :-

श्री दामोदर प्रसाद साव, पिता चिन्तामनी साव, जाति-तेली, पेशा- समाजिक कार्यकर्ता, साकिम- चिटाही बस्ती, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद ने एक न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया है एवं इस निमित से निम्नलिखित सज्जनों को न्यासी नियुक्त करते हैं।

न्यासी :-

२१५० — १— श्रीमती अनीता देवी, पिता अतुल साव, जाति- तेली, पेशा- गृहस्थी, साकिम- टुण्डु, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद (झारखण्ड) | ८२८१२९

२— श्री तरुण कुमार महतो, पिता आनन्द महतो, जाति- तेली, पेशा- व्यवसाय, साकिम- मेंजुरा बिराजपुर, थाना- मधुबन, जिला- धनबाद (झारखण्ड) |

३— श्री कोशल चंद साहु, पिता नेपाल चंद साहु, जाति- तेली, पेशा- व्यवसाय, साकिम- चिटाही बस्ती, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद (झारखण्ड) | ८२८१२८

४— श्री प्रकाश कुमार मिश्रा, पिता विश्वजीत मिश्रा, जाति- ब्राह्मण, पेशा- व्यवसाय, साकिम- नवागढ लाला बाडी, थाना- मधुबन, जिला- धनबाद (झारखण्ड) | ८२८१२५

५— श्री प्रिंस कुमार गुप्ता, पिता सन्त किशोर गुप्ता, जाति- बनिया, पेशा- व्यवसाय, साकिम- जियलगोड तेतुलिया, थाना- मधुबन, जिला- धनबाद (झारखण्ड) | ८२८१२८

६— श्री सोनू कुमार महतो, पिता अशोक कुमार महतो, जाति- तेली, पेशा- व्यवसाय, साकिम- बिराजपुर, थाना- मधुबन, जिला- धनबाद (झारखण्ड) | ८२८१२८

26-9-19


10 - ८० - १.८०

ज्ञान प्रसाद लाली का जन्म तिथि वर्षा वर्षा वर्षा
का जन्म तिथि वर्षा वर्षा वर्षा
दर्शक वर्षा वर्षा वर्षा
प्रियतानी का जन्म तिथि वर्षा वर्षा
वासी वर्षा वर्षा वर्षा
प्रियतानी का जन्म तिथि वर्षा वर्षा
वासी वर्षा वर्षा वर्षा

प्रधानिकारी का संकेत

26-9-19

दृष्ट गणक का संकेत



Damodar Prasad Lala

26/09/19





:- 2 :-

उक्त ०६ (छ) व्यक्तियों को सम्मिलित रूप ये न्यासी के नाम से जाने जायेगें, और ये न्यासी होंगें, चूंकि संस्थापक ५,०००/- रूपये से सार्वजनिक न्यास स्थापित करने के लिये इच्छुक हैं एवं न्यासीयों ने न्यासकर्ता के निवेदन पर न्यासीयों के रूप में कार्य करना स्वीकार किया है !

अतः इस न्यास द्वारा यह घोषणा की जाती है कि :-

न्यासीयों ने अपनी अभिलाषाओं को मूर्त रूप देने के लिये न्यासीयों के जिम्मे ५,०००/- (पॉच हजार रूपये) दिया, जिसे न्यासी, न्यास के स्वामित्व में उपयोग एवं उपभोग करेंगे, साथ ही और जो कोई भी सम्पत्ति एवं कोष न्यास को निबंधित दस्तावेज के द्वारा प्राप्त होगा, वह सब न्यास के नियमानुसार न्यास के मुख्य उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के लिये संचालित करेंगे, एवं भविष्य की सम्पुर्ण प्राप्त राशि दान, चल— अचल सम्पत्ति उक्त ५,०००/- रूपया की मूल राशि में अंगीभुत होंगें, इस राशि को न्यास फण्ड के नाम से जाना जायेगा !

1— इस कार्य के सुव्यवस्थित संचालन हेतु न्यास द्वारा प्रयुक्त शक्तियों और दायित्वों का व्यौरा निचे लिखे नियमों एवं उप नियमों में की गई है !

2—इस न्यास का नाम :— “शिक्षा समाधान ट्रस्ट” धनबाद !

3—इस न्यास का प्रधान एवं स्थायी कार्यालय :— “दरिदा धनबाद” पो०— झगराही, थाना—बरोरा, जिला—धनबाद, झारखण्ड इसका कार्य क्षेत्र सम्पुर्ण भारत वर्ष में होगा !

4— इस न्यास का कल्याण कार्य समाज के सभी समुदाय के व्यक्तियों के लिये होगा !

5—न्यास के गठन के समय घोषित न्यास के उद्देश्यों, कार्यों और इसके मौलिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा !

न्यास का उद्देश्य :— उद्देश्य संक्षिप्त स्पष्ट एवं विशिष्ट हो :-

(क) सभी धर्मों के प्रति समान भाव एवं दृष्टिकोण रखते हुए स्वस्थ, मनोरंजन, समाजिक कल्याण, सुख—शांति एवं सौहार्द प्रेम को बढ़ाने हेतु हर्षेल्लास संगीतमय एवं कानफेरेन्स स्थापित करना ।



(ख) कार्य क्षेत्रों में सभागार, संगीतालय, उपासनाश्रय, पाठशाला, वाचनालय, औषद्यालय, आदि का निर्माण कराना, एवं संचालन करना !

(ग) पत्र –लाईब्रेरी, गीत पुस्तकों एवं समाज उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन !

(घ) पुस्तकालय का निर्माण करना !

(ङ.) एड्स, मलेरिया, एनिमिया, डाबीटीज, नशीले पदार्थ के सेवन करने वाले के लिये नशा विमुक्ति केन्द्र की स्थापना करना, हेपटाईटीस एवं अन्य रोगों के नियंत्रण के लिये समाज के सभी वर्गों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं चिकित्सीय जॉच उपलब्ध कराना, खुन की व्यवस्था कराना, मातृ एवं शिशु कल्याण संबंधित क्रिया–कलाप सभी प्रकार के बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम एच०आई० वी० एड्स व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, चलन्त क्लीनिक, ओल्ड एज होम मदर एण्ड चाईल्ड हेल्थ सेन्टरकी स्थापना एवं उसका संचालन करना ! एम्बुलेन्स की व्यवस्था कराना, जन्म और मृत्यु के बाद लगने वाले सामग्री की व्यवस्था कराना !

(च) समाज में व्याप्त बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, स्वरोजगार के अन्तर्गत गीत, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षण, धार्मिक शिक्षण प्रशिक्षण, कार्यालय लिपिक, लेखाकार, भंडारक, नर्सिंग होम, प्राईमरी ड्रेसर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, तकनीशियन, ऑटोमोबाईल, इंजीनियरिंग, नर्स सहायता, कम्प्यूटर नर्सरी, टीचर ट्रेनिंग, प्राईमरी टीचर ट्रेनिंग, इत्यादि कोर्स पर आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उक्त पाठ्क्रम संचालिक करना एवं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना !

(छ) न्यास पर्यावरण जल, वन, वृक्ष संरक्षण, लघु सिचाई, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग, एवं वाणिज्य के क्षेत्र में शिक्षण – प्रशिक्षण का विकास कार्य करना एवं मेधावी/गरीब छात्र छात्राओं को छात्रबृति प्रदान करना, अनाथालय, वृद्धा आश्रम एवं बेसहरा नारी को स्वरोजगार के तहत प्रशिक्षण संस्थान एवं आश्रम की व्यवस्था करना !

(ज) जनजीवन में मानवीर मूल्यों पर आधारित समाज के लिये चेतना जागृत करना, एवं उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों से अवगत कराना तथा कृषि, पशुपालन, एवं आदर्श जीवन का नमूना पेश करना ।



- (झ) प्राकृतिक आपदा जैसे भुकम्प, बाढ़, सूखा, आदि में मानवीय सहायता करना !
- (ट) गीत –संगीत का पशिक्षण दिलाना एवं विभिन्न तरह के गीत– संगीत प्रतियोगीता का आयोजन करना ।
- (ठ) समय–समय पर सरकार द्वारा संचालित जन–कल्याण में सहयोग करना !

5- कार्यकारिणी न्यासी का गठन :-

- (क) न्यास की कार्यकारिणी न्यासी में पदाधिकारीयों सहित कुल 07 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों की होगी जब तक पुनः चुनाव नहीं हो जाता तब तक पुरानी न्यासी की कार्य करती रहेगी !
- (ख) यदि किसी कारणवश न्यासी में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर न्यासी किसी व्यक्ति को मनोनित कर सकती है लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत् चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे, जिस पद के लिये उनका मनोनयन किया गया हो !
- (ग) न्यास के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा में होगा !

6- कार्यकारिणी न्यासी का कार्य एवं अधिकार :-

- (क) सदस्यता के लिये प्राप्त आवेदन पत्र के विरुद्ध स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करना !
- (ख) न्यास के नियमों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करने वाले सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सदस्यता से वंचित करना !
- (ग) न्यास के संचालन हेतु धन इकट्ठा करना तथा आवश्यकता एवं नियमानुसार खर्च करना ।
- (घ) उपशाखायें खोलना तथा संचालन करना । कार्य व्यवस्था हेतु न्यासी उपन्यासी गठित करना ।
- (च) वार्षिक विवरण तैयार करना और आम सभा की स्वीकृति के लिये उपस्थित करना ।



:- 5 :-

(छ) न्यासी के उद्देश्य की पुर्ति के अन्य वैधानिक कार्य करना, जो न्यास और जनता के हितार्थ हो ।

(ज) न्यास के विरुद्ध आचरण वाले सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ।

(झ) आवश्यकता अनुसार न्यासी एंव उपन्यासी या शाखा कार्यालयों का गठन करना ।

ट्रस्ट के पदाधिकारीगण:- ट्रस्ट के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

(क) श्री दामोदर प्रसाद साव – अध्यक्ष

(ख) श्रीमती अनिता देवी – सचिव

(ग) श्री तरुण कुमार महतो – कोषाध्यक्ष

पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-

अध्यक्ष :-

(क) न्यासीयों की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आवे की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

(ग) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :-

(क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना !

(ख) बैठक के कार्यवाही पंजी अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

(ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना ।



:- 6 :-

- (घ) न्यास की ओर से पत्राचार करना ।
- (च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी न्यासी की सलाह से करना ।
- (छ) न्यास के हित में अन्य कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :-

- (क) न्यास का आय—व्यय का हिसाब रखना तथा सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना !
- (ख) आकस्मिक खर्च के लिये अपने पास 500/- रुपये तक रखना तथा विशेष खर्च के लिये न्यासीयों की बैठक से पास कराकर कार्य सम्पादित करना !
- (ग) न्यास के कोष को किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में न्यास के नाम पर जमा करना !

८—आमसभा का कार्य एवं अधिकार :-

- (क) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन !
- (ख) न्यास की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।
- (ग) न्यास आय—व्यय लेख के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक नियुक्त करना ।
- (घ) न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना ।
- (च) न्यास के विघटन पर निर्णय लेना ।
- (छ) न्यास के सभी कार्यवाहियों पर निगरानी रखना एवं उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहना ।

९—आमसभा की बैठकें :-

- (क) आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में एक बार होगी तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है !



:- 7 :-

(ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा ! पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर न्यास के सचिव को आमसभा की बैठक बुलानी होगी । यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने के विषय में विचार विमर्श किया जायेगा ।

10— कोरम :-

आमसभा के किसी भी बैठक के लिये कोरम कुल सदस्यों के आधे से एक अधिक होगी **(50%+1)** ।

11— बैठक की सूचना :-

- (क) आमसभा की सभी बैठकों के लिये सुचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जायेगी ।
- (ख) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचना बही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी ।

12— कार्यकारिणी न्यासीयों की बैठक :-

- (क) कार्यकारिणी न्यासीयों की बैठक प्रत्येक वर्ष में चार बार होगी ।
- (ख) आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।
- (ग) न्यासीयों की बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व दी जायेगी ।

13 — आय का स्रोत :-

- (क) सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्राप्त दान, अनुदान ।
- (ख) व्यक्तिगत स्वैच्छिक अनुदान ।
- (ग) उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से ।



14— कोष की व्यवस्था/ बैंक खाते का संचालन :-

न्यास का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में न्यास के नाम जमा रहेगी, जिसका संचालन न्यास के अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

15— अंकेक्षण :-

न्यास के आय-व्यय का लेखा—जोखा नियमित रूप से न्यास के कार्यालय में रहेगी, जिसका अंकेक्षण आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से प्रति वर्ष कराया जायेगा।

16—संशोधन :-

न्यास के स्मृति—पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन न्यासीयों की अमसभा के $3/5$ सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा न्यास निबंधन अधिनियम का पूर्णत पालन किया जायेगा।

17— पंजी का निरीक्षण —

न्यास की सभी पंजियों न्यास के निबंधित कार्यालय में न्यास के सचिव के जिम्मे रहेगी, जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी, निदेशक (न्यास द्वारा नामित सदस्य) की अनुमति से निरीक्षण कर सकते हैं।

18—कानूनी कार्रवाही :-

न्यास पर या न्यास के द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाही सचिव के पदनाम से किया जायेगा।

19—न्यास का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

(क) यदि किसी कारणवश न्यास का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी न्यासी द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारिणी न्यासी तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेषबैठक में रखेगा। आमसभा के $3/5$ सदस्यों के बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही न्यास विघटित होगी।

Somday Banad Lang
26/9/19




:- 9 :-

(ख) न्यास विघटन के उपरान्त जो भी चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निर्वाचित किसी न्यास या झारखण्ड सरकार को दी जायेगी।

अतः मैं स्वस्थ्य शरीर में सरल मन से अपना स्थिर बुद्धि एवं सरलता से विचार कर एवं समझ बुझकर बिना किसी दबाव में आकर यह न्यास दस्तावेज सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें।

ईति तारिख - 26. 09. 2019

01 नं० न्यासी का छायाचित्र



आदिता देवी

26/9/19



02 नं० न्यासी का छायाचित्र




Jarun Kumar Mahato

26/9/19




Demodar Prasad Sahu
26/9/19



- 10 -

03 नं० न्यासी का छायाचित्र



Kashel Chand Sahu

26/9/19



04 नं० न्यासी का छायाचित्र




Prakash Kr. Mishra

26/9/19



05 नं० न्यासी का छायाचित्र



Prince Kr. Gupta

26/9/19




Damodar Prasad Tawar

26/9/19



— 11 —

06 नं० न्यासी का छायाचित्र



राजेश
न्यासी

26/9/19



मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया ! प्रमाणित किया जाता है कि न्यासकर्ता एवं न्यासीयों का छायाचित्र दस्तावेज में लगा है एवं उनलोगों के बाये हाथ के अगूलियों के निशान मेरे सामने लिये गये हैं !

— गवाहगण —

Rajesh Kumar Ball
Advocate
Dharmik
E. No - J.H-351/3-

(1)

टॉकर र.वारी
पिता- श्री पौजी लल र.वारी
ग्रा- कचरी, बाना- महापा
धनबाद, 828305

26/9/19

(2)

Kishan Ram

पिता- Tapashwar Ram
At- Tundu, Buroke
Dhamber
828128

26/9/19